

न्यायालय उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना-मऊ

वंशनारायण
ग्राम व पोस्ट-भदीड़

वाद संख्या-12/2013 धारा 143 ज0वि0अधि0

गांवसभा

मौजा-भदीड़, परगना-मुहम्मदाबाद गोहना
तहसील-मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद-मऊ

निर्णय

श्री वंशनारायण पुत्र स्व0 चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-भदीड़, जनपद-मऊ ने इस कथन के साथ वाद प्रस्तुत किया गया है कि मौजा-भदीड़ के आराजी नं0-108, 125, 223, 231, 240मि0, 241, 267, 409मि0 कुल रकबा 3.0164 हे0 में से 9374 वर्गमीटर का प्रतिवादिगण के साथ सह संक्रमणिय भूमिधर है। तथा उक्त आराजी पर वंशनारायण पुत्र स्व0 चन्द्रभान सिंह का भवन एवं प्रांगण स्थित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। इस कथन के साथ नियम 135 (1) ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत आख्या मंगाकर धारा 143 के अन्तर्गत उक्त भूमि को अकृषिक करने की याचना किया गया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर नियम 135 (1) ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक से आख्या मांगा गया तथा प्रतिवादिगण को नोटिस निर्गत हुआ, जो वादतामिल पत्रावली में सम्मिलित हैं। प्रतिवादिगण के तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। राजस्व निरीक्षक के आख्या के अनुसार उक्त भूमि में भवन एवं प्रांगण है, जो अकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है।

वादि के अधिवक्ता के तर्क को सुना गया तथा राजस्व निरीक्षक की आख्या एवं नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक ने अपनी नजरी नक्शा में उपरोक्त आराजी पर वंशनारायण पुत्र स्व0 चन्द्रभान सिंह का नाम अंकित किया गया है तथा खसरा पर भी उक्त आराजी नम्बर पर वंशनारायण पुत्र स्व0 चन्द्रभान सिंह का कब्जा अंकित है। शासकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, उनके अनुसार उक्त भूमि को अकृषिक करने में कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व निरीक्षक की आख्या में उक्त आराजी नं0-108, 125, 223, 231, 240मि0, 241, 267, 409मि0 कुल रकबा 3.0164 हे0 में से 9374 वर्गमीटर अकृषिक पायी गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी नम्बर को अकृषिक (आबादी) घोषित करना न्यास संगत हैं।


आदेश

अतः भदीड़, परगना व तहसील-मुहम्मदाबाद गोहना के मौजा-भदीड़ के आराजी नं0-108, 125, 223, 231, 240मि0, 241, 267, 409मि0 कुल रकबा 3.0164 हे0 में से 9374 वर्गमीटर का प्रतिवादिगण के साथ सह संक्रमणिय भूमिधर है। को धारा-143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति अमल दरामद हेतु तहसीलदार मुहम्मदाबाद गोहना को एवं एक प्रति अनुपालनार्थ हेतु उप निबन्धक मुहम्मदाबाद गोहना को भेजी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक 20.09.2013




उप जिलाधिकारी
मुहम्मदाबाद गोहना-मऊ



सत्य-प्रतिलिपि

रीडर
न्यायालय-उपजिलाधिकारी
मुहम्मदाबाद गोहना-मऊ